न्यायालय उपखंड अधिकारी निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– विकास पंचोली (R.A.S.)

प्रकरण संख्याः 109/2019 प्रार्थना पत्र

GCMS No.–2019/00359

1. मोहनलाल पिता जीवराज जी पाटीदार निवासी अरनोदा तह० निम्बाहेडा ।
2. सोहन बाई पत्नी हरिश जी पुत्री जीवराज जी जाति पाटीदार आयु 45 वर्ष निवासी अरनोदा हा०मु० महागढ तह० मनासा जिला नीमच म०प्र०
3. गुड्डी बाई पत्नी सत्यनाराण जी पुत्री जीवराज जी जाति पाटीदार आयु वयस्क निवासी अरनोदा हा०मु० कारूण्डा तह० छोटीसादडी जिला प्रतापगढ राज०
4. कलां बाई बेवा जीवराज जी जाति पाटीदार आयु 70 वर्ष निवासी अरनोदा तह० निम्बाहेडा राज०
5. तोलीराम पिता धनराज जी जाति पाटीदार आयु 63 वर्ष निवासी अरनोदा तह० निम्बाहेडा राज०
6. शंभुलाल पिता धनराज जी जाति पाटीदार आयु 60 वर्ष निवासी अरनोदा तह० निम्बाहेडा राज०

.... प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब, निम्बाहेडा राज०
2. राधेश्याम पिता भैरूलाल जी जाति पाटीदार आयु 65 वर्ष निवासी अरनोदा तह० निम्बाहेडा राज० विपक्षीगण

.......विपक्षीगण

<u>प्रार्थना पत्र. अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956</u>

उपस्थित :– 1– श्री सुरेन्द्र कुमार ओझा – अधिवक्ता प्रार्थीगण

:: निर्णय ::

दिनांक :– 10.01.2025

1. प्रकरण में संक्षिप्त विवरण मामला इस प्रकार है कि प्रार्थी एवं अन्य खातेदारों के संयुक्त खातेदारी की आराजीयात वाके मोजा अरनोदा प०ह० अरनोदा की खाता सं० 489 की आ0नं0 764 रकबा 0.0600 हेक्टेयर स्थित है।

2. प्रार्थी कमांक 1 से 3 के पिता प्रार्थी कमांक 4 के पति व प्रार्थी 5 से 6 व प्रतिवादी सं0 2 के नाम खातेदारी में दर्ज होकर इस पर सभी अपने अपने हिस्से अनुसार काबिज है। प्रार्थी कमांक 1 से 3 के पिता व प्रार्थी कमांक 4 के पति की मृत्यु दिनांक 19.01.2017 को हो गई जिसका विरासत का नामांतरण खुलवाने प्रार्थीगण पटवार हल्का के पास हुचे तो ज्ञात हुआ कि उक्त आराजी नं0 764 में नये सेलटलमेंट हो जाने से जीवराज जी का नाम ही नही है,

3. उपरोक्त तथ्यों की जानकारी होने पर प्रार्थी[illegible] विपक्षी कामंक 1 व 2 नवीन सेटलमेंट से प्रार्थीगण 1 व 3 [illegible] जीवराज जी के नाम खाते में नही होने के तथ्य से अवगत करवाया तो उन्होंने कहा कि नवीन [illegible] प्रबंध लागू हो गया है तथा सेटलमेंट डीर्पाटमेंट की की चूक से नाम अंकित होने [illegible] गया है तब प्रार्थीगण ने आवश्यक नकले विपक्षी कार्यालय से प्राप्त कर अविलम्ब यह याचिका न्यायालय में पेश की है। जिसे स्वीकार कर आराजी नं0 764 बाबत सेटलमेंट की पूर्व स्थिति बहाल की जावे, जीवराज जी की मृत्यु होने पर उनके वारिसान प्रार्थीगण कमांक 1 से 4 का नाम अंकित किए जाने हेतु निवेदन किया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ (राज.)

उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेडा

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2025.01.29 13:41:25 IST
Reason: SelfAttested

4. प्रकरण दर्ज किया जाकर विपक्षीगणों को जरिये सम्मन तलब किया गया। विपक्षी संख्या 2 द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं करने से जवाब बन्द किया गया। विपक्षी तहसीलदार निम्बाहेड़ा ने मय अनुशंषा जांच रिपोर्ट इस न्यायालय को प्रस्तुत की और निवेदन किया की आराजी नम्बर 764 रकबा 0.06 हैक्टेयर, खाता संख्या 519 में होकर राधेश्याम पिता भैरूलाल, राजेन्द्र पिता मोहन, शम्भूलाल पिता धनराज पाटीदार के नाम दर्ज रिकार्ड है।

5. ग्राम अरनोदा की जमाबन्दी रोटेशन सॅम्वत 2066–69 में खाता संख्या 422 आराजी नम्बर 569 रकबा 2 बिस्वा होकर राधेश्याम पिता भैरूलाल जीवराज, तोलीराम, शम्भूलाल पिता धनराज कुलमी के नाम दर्ज रिकार्ड था।

6. जमबान्दी रोटेशन 2066–69 से जमाबन्दी रोटेशन 2070–73 लिखते समय सहवन से खातेदार श्री जीवराज पिता धनराज का नाम जमाबन्दी में अंकित होना रह गया।

7. आराजी नम्बर 764 रकबा 0.06 हैक्टेयर में खातेदार जीवराज का नाम अंकित होने से रह जाने के कारण जीवराज का नाम अंकित किया जाना उचित है चुकि जीवराज की मृत्यु दिनांक 19.01.2017 को हो जाने के कारण जीवराज के बजाए उसके वारिसान मोहनलाल,सोहनबाई,गुड्डी बाई, कलाबाई के नाम अंकित किए जाने हेतु प्रस्तावित किया गया।

8. दोंनों पक्षों के अभिवचनों के आधार पर बहस सुनी गई । पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों एवं तहसीलदार निम्बाहेडा से प्राप्त जांच रिपोर्ट एवं संशोधन प्रस्ताव का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया एवं प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया।

9. उपर्युक्त तथ्यों के विश्लेषण से पूर्व सर्वप्रथम राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–136 का उद्धरण प्रासंगिक है। जो कि इस प्रकार है:–

> ***136. Correction of errors. - The Land Record Officer may, at any time, correct or cause to be corrected in the prescribed manner any clerical errors and any errors which the parties interested admit to have been made in the record of rights or register, or which a Revenue Officer may notice during the course of his inspection in any Register:***
>
> ***Provided that when any error is noticed by a Revenue Officer in any record of rights during the course of his inspection, no error shall be corrected unless a notice to show cause has been given to the parties***

10. इस प्रकार राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–136 के अवलोकन से स्पष्ट है कि राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–136 के तहत प्रार्थनापत्र अथवा स्वप्रेरणा से राजस्व रिकॉर्ड में हुई त्रुटियों को संक्षिप्त विचारण कर दुरूस्त किये जाने के प्रावधान बनाए गए हैं। प्रकरण में प्रार्थी द्वारा जमाबंदी में खातेदारी संबंधी इन्द्राज के प्रारूप तथा अप्रासंगिक राजस्व इन्द्राज को कलमजन करने का अनुतोष बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। उक्त प्रकार का अनुतोष प्रथम दृष्टया राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–136 के तहत आवश्यक होने पर दुरूस्त किया जा सकता है।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़
उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2025.01.29 13:41:25 IST
Reason: SelfAttested

11. प्रार्थना पत्र में वर्णित आधारों एवं दस्तावेजों के आधार पर संक्षिप्त सार यह है कि जमबान्दी रोटेशन 2066–69 से जमाबन्दी रोटेशन 2070–73 लिखते समय सहवन से खातेदार श्री जीवराज पिता धनराज का नाम जमाबन्दी में अंकित होना रह गया।

12. आराजी नम्बर 764 रकबा 0.06 हैक्टेयर में खातेदार जीवराज का नाम अंकित होने से रह जाने के कारण जीवराज का नाम अंकित किया जाना उचित है चुंकि जीवराज की

मोहनलाल,सोहनबाई,गुड्डी बाई, कलाबाई के नाम दर्ज किया किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

तहसीलदार निम्बाहेड़ा से मय अभिशंषा प्राप्त रिपोर्ट अनुसार प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार निम्बाहेडा को आदेशित किया जाता है कि मोजा अरनोदा पटवार हल्का अरनोदा के आराजी नम्बर 764 रकबा 0.0600 हैक्टेयर भूमि में जीवराज पिमा धनराज कुलमी के हक हिस्से की आराजियात को प्रार्थी संख्या 1 से 4 के नाम दर्ज किए जाने का आदेश दिये जाते हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 10.01.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

(विकास पंचौली)
उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा
उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2025.01.29 13:41:25 IST
Reason: SelfAttested